भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 267
04 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

मछली उत्पादन

+267. श्री दीपक अधिकारी (देव) :
डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मछली और मछली उत्पादों के विपणन के लिए कोई एजेंसी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की मछली और मछली उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की कोई योजना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में मत्स्य उत्पादों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" नामक प्रमुख योजना को लागू कर रहा है। पीएमएमएसवाई में अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, वैल्यू चैन का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट हानि में कमी, मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित ट्रेसेबिलिटी आदि में कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने की परिकल्पना की गई है। मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत देश भर के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1654.51 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से फिश ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की 27189 यूनिट्स (रेफ्रीजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, टू व्हीलर/थ्री व्हीलर), 21 अत्याधुनिक होलसेल फिश मार्केट, 202 फिश रिटेल मार्केट, 6694 फिश कियोस्क और मात्स्यिकी और मत्स्य उत्पादों की ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए 5 ई-प्लेटफॉर्म की सहायता प्रदान की गई है। मछुआरों और मत्स्य किसानों को वास्तविक समय (रियल टाईम) के अनुसार और सटीक मूल्य की जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें बेहतर मूल्य और लाभप्रदता के लिए मोल-भाव करने में सहायता प्रदान करने के लिए, विभाग ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 111 होलसेल और रिटेल फिश मार्केट से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री और अंतर्देशीय मछलियों के बाजार मूल्यों को प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए 2018-19 के दौरान 'फिश मार्केट प्राइस इन्फॉर्मेशन सिस्टम' (एफएमपीआईएस) लॉंच की है।

इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना और पारंपरिक मछुआरों, मत्स्य किसान उत्पादक संगठन, मात्स्यिकी क्षेत्र के उद्यमियों सहित सभी हितधारकों को ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से अपने उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए सशक्त बनाना है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एनएएफईडी) कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से 544.85 करोड़ रुपए के परियोजना परिव्यय के साथ 2195 मात्स्यिकी सहकारी समितियों को मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) के रूप में सहायता प्रदान की है।

(ग) से (ङ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ 2024-25 तक मात्स्यिकी निर्यात को 1.0 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और उच्च मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई, फिशरीज़ वैल्यू चैन में विभिन्न हस्तक्षेप/गतिविधियों को सहायता प्रदान करती है जिसमें गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन, खारे पानी के जलीय कृषि का विस्तार, विविधीकरण और गहनता, निर्यातोन्मुखी प्रजातियों को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का समावेश, मजबूत रोग प्रबंधन और ट्रेसेबिलिटी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध कोल्ड चेन के साथ मॉडर्न पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, मॉडर्न फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स का विकास आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2013-14 से भारत का समुद्री खाद्य निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है। वर्ष 2013-14 में समुद्री खाद्य निर्यात 30,213 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 60,523.89 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र के लिए विज़न डॉक्यूमेंट-2030 तैयार किया है, जिसमें वर्ष 2030 तक 18.00 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात कारोबार हासिल करने की सिफारिश की गई है। विगत पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान देश में मत्स्य उत्पादों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न है।

अनुबंध

मत्स्य उत्पादन के संबंध में 4 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य, लोकसभा श्री दीपक अधिकारी (देव) और डॉ. थोल तिरुमावलवन द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 267 के भाग-(ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

भारत से समुद्री उत्पादों का वस्तु-वार निर्यात						
क्यू: मात्रा मीट्रिक टन में, वी: मूल्य करोड़ रुपए में						
वस्तु		**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
फ्रोजन श्रीम्प	क्यू:	652253	590275	728123	711099	716004
	वी:	34152.03	32520.29	42706.04	43135.58	40013.54
फ्रोजन श्रीम्प	क्यू:	223318	188130	226586	368549	381588
	वी:	3610.01	2941.65	3471.91	5503.18	5509.69
फ्रोजन कटल फिश	क्यू:	70906	59292	58992	54919	54316
	वी:	2009.79	1626.34	2062.63	2353.34	2252.63
फ्रोजन स्क्विड	क्यू:	87631	61176	75750	83846	93509
	वी:	2196.59	1998.90	2806.09	3593.75	3061.46
ड्राइड आइटम	क्यू:	84417	85661	73679	252918	300966
	वी:	981.50	1148.38	1472.98	3080.92	4070.60
लाइव आइटम	क्यू:	7287	4379	7032	7824	7585
	वी:	324.26	239.69	353.36	440.06	397.84
चिल्लड आइटम	क्यू:	21202	17622	21689	24428	35925
	वी:	631.84	477.99	733.47	616.29	687.19
अन्य	क्यू:	142638	142975	177414	231703	191709
	वी:	2756.84	2767.74	3979.99	5246.03	4530.92
कुल	क्यू:	**12,89,651**	**11,49,510**	**13,69,264**	**17,35,286**	**17,81,602**
	वी:	**46,662.85**	**43,720.98**	**57,586.48**	**63,969.14**	**60,523.89**

भारत से समुद्री उत्पादों का राज्यवार निर्यात						
क्यू: मात्रा टन में, वी: मूल्य करोड़ रुपए में						
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
गुजरात	क्यू वी	252712 5001.43	203917 4188.52	200099 4421.10	248863 5466.94	284088 5511.36
महाराष्ट्र	क्यू वी	151425 4829.17	110822 3684.94	193999 7303.92	214167 7466.47	222453 6923.34
गोवा	क्यू वी	21498 520.65	16549 435.25	36057 730.64	63333 1007.60	55167 934.20
कर्नाटक	क्यू वी	111465 1520.10	121348 1689.14	120427 1962.19	312347 4737.23	301183 4785.05
केरल	क्यू वी	163563 5672.27	157698 5623.12	182430 6971.56	218629 8285.03	196807 7231.84
तमिलनाडु	क्यू वी	130377 6465.71	110023 5565.48	114810 6559.64	123157 6957.67	134317 6854.22
आंध्र प्रदेश	क्यू वी	293314 15498.64	279992 15831.74	324904 20035.49	328160 19846.95	347927 19420.38
तेलंगाना	क्यू वी	0 0.00	0 0.00	3102 156.91	6676 358.39	11758 565.10
ओडिशा	क्यू वी	66671 3243.93	60718 3107.68	86765 4627.91	85308 4546.47	84231 3954.60
पश्चिम बंगाल	क्यू वी	98626 3910.95	88443 3595.12	103398 4742.47	125025 5121.33	132318 4145.51
दिल्ली	क्यू वी	0 0.00	0 0.00	766 39.00	1083 63.61	1294 79.84
अन्य	क्यू वी	0 0.00	0 0.00	2507 35.64	8536 111.47	10058 118.46
कुल	क्यू वी	**12,89,651** **46,662.85**	**11,49,510** **43,720.98**	**13,69,264** **57,586.48**	**17,35,286** **63,969.14**	**17,81,602** **60,523.89**

******